न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

प्रकरण संख्या 05/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हलका भाखरपुरा		श्री श्रवण पुत्र हरा कौम भील सा. मघा की ढाणी तहसील गुडामालानी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 17.07.17

उपस्थित :– 1. पटवारी हलका भाखरपुरा

2. अप्रार्थी श्री श्रवण

निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार हैं । पटवारी हलका भाखरपुरा ने न्यायालय नायब तहसीलदार गुडामालानी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि अप्रार्थी ने सरहद मौजा मघा की ढाणी सरकारी भूमि ख.नं. 759/491 कुल रकबा 143.15 किस्म गै. मु. गोचर में से 12.02 बीघा भूमि पर बाड व पकका मकान बनाकर अनाधिकृत कब्जा किया हैं , अतः इन्हें बेदखल किया जावे । अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर आया , जिसे षामिल पत्रावली किया गया । सर्कल परिवर्तन होने से पत्रावली न्यायालय नायब तहसीलदार गुडामालानी से स्थान्तरित होकर इस न्यायालय के प्राप्त हुई हैं , जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

नियत तारीख पेषी दिनांक 17.07.17 को प्रार्थी पटवारी हलका उपस्थित तथा अप्रार्थी उपस्थित , अप्रार्थी ने जबाब पेश नहीं किया तथा जबाब पेश नहीं करना चाहता, उक्त भूमि पर अपना अतिक्रमण स्वीकार किया , अतः अप्रार्थी की षहादत बन्द की जाती हैं ।

प्रार्थी पटवारी हलका ने अप्रार्थी को बेदखल करने , निर्माण कार्य को ध्वस्त करने का निवेदन किया तथा दंडित करने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का अध्ययन तथा अवलोकन किया । उक्त भूमि [illegible] अप्रार्थी के अतिक्रमण की पुष्टि होती हैं अतः अप्रार्थी को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया [illegible] है तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेष दिये जाते हैं । उक्त भूमि पर मकान इत्यादि निर्माण कार्य को ध्वस्त [illegible] यानि गिराने के आदेश दिये जाते हैं । यदि मौके पर फसल खडी हो तो नष्ट कर दी जावे। लगान 16.57 रूपये

Signature Not Verified
Digitally signed by Kaushlya
Date: 2024.08.23 11:53:45 IST
Reason: SelfAttested

का बीस गुणा 331 अक्षरे रूपये तीन सौ इकतीस शास्ति जुर्माना आरोपित की जाती हैं , जो वसूल हो । जुर्माना मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार तथा जुर्माना वसूली तथा बेदखली हेतु पटवारी हलका सूचित हो ।

निर्णय दिनाक 17.07.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया , पत्रावली फैसल षुमार होकर नम्बर से कम हो । बाद तामिल दफतर दाखिल हो ।

(जोधसिंह)

तहसीलदार गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Kaushlya
Date: 2024.08.23 11:53:45 IST
Reason: SelfAttested